# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

## ::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधाना/स्थाना./2019 दिनांक 29.09.2019 द्वारा श्री गिरधारी लाल गुप्ता, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मूण्डली, बस्सी जिला जयपुर को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मानकी चैनपुरा जिला बाडमेर में एवं श्री ईश्वर मल दुलारिया, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, दन्ता जिला कोटा को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मूण्डली, बस्सी जिला जयपुर में स्थानान्तरित किया गया था।

उक्त स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध श्री गिरधारी लाल गुप्ता द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर से अपील संख्या 2904/2019 में अंतरिम स्थगनादेश प्राप्त कर लेने के फलस्वरूप इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 25.10.2019 द्वारा श्री ईश्वरमल दुलारिया, प्रधानाचार्य का अन्तरिम समायोजन राउमावि कुराड, मालपुरा जिला टोंक में प्रधानाचार्य के रिक्त पद पर किया गया था।

श्री ईश्वरमल दुलारिया द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 640/2020 ईश्वरमल दुलारिया बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई जिसमें माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.08.2020 द्वारा अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष एक अभ्यावेदन पेश करने और अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा उसे विधि अनुसार, एक सकारण आख्यात्मक आदेश प्रसारित करते हुए निस्तारित किये जाने एवं उक्त निस्तारण की सम्यक सूचना अपीलार्थी को दिये जाने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए।

माननीय अधिकरण के निर्णय के अनुसरण में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में श्री गिरधारी लाल गुप्ता के अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर दिनांक 30.06.2020 को सेवानिवृत्त हो जाने के फलस्वरूप स्वयं को विभागीय आदेश दिनांकः 29.09.2019 की अनुपालना में पुनः राउमावि मूण्डली, बस्सी जिला जयपुर में पदस्थापित किये जाने का निवेदन किया गया।

प्रार्थी श्री ईश्वरमल दुलारिया के अभ्यावेदन का माननीय अधिकरण के निर्णय एवं राज्य सरकार एवं विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया एवं उनसे सम्बन्धित अभिलेखों का निरीक्षण किया गया। अपीलार्थी द्वारा चाहे गए राउमावि मूण्डली, बस्सी जिला जयपुर में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय से अधिशेष प्रधानाचार्य श्री भागीरथ सिंह बारेठ को पदस्थापित कर दिये जाने से प्रधानाचार्य का पद रिक्त नहीं होने के कारण पदस्थापन संभव नहीं है। अपीलार्थी को समीपवर्ती टोंक जिले में ही पदस्थापित किया गया है, किसी दूरस्थ स्थान पर नहीं। अपीलार्थी राज्य सेवा के अधिकारी हैं और उन्हें विभागीय प्राथमिकता, प्रशासनिक आवश्यकता, राज्य अथवा विद्यार्थी हित में राज्य में कहीं पर भी पदस्थापित किया जा सकता है। तद्नुसार अपीलार्थी द्वारा की गई मांग उचित नहीं होने के कारण उनका अभ्यावेदन खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। श्री ईश्वरमल दुलारिया विभागीय आदेश दिनांक 25.10.2019 की अनुपालना में राउमावि कुराड, मालपुरा जिला टोंक में प्रधानाचार्य के पद पर पदस्थापित रहेंगे। सम्बन्धित सूचित हो।

**(सौरभ स्वामी)**
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

**क्रमांकः शिविरा/मा/संस्था/बी–2/अपील/गिरधारी लाल/2904/2019** **दिनांकः** 18/8/2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, अजमेर/जयपुर, संभाग, जयपुर/अजमेर ।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जयपुर/टोंक।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, जयपुर/टोंक।
6. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, मालपुरा जिला टोंक।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. सम्बन्धित कार्मिक श्री ईश्वरमल दुलारिया।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)